तमाम मुश्किलें और अड़चनों के बाद भी आज दिल्ली में आप की सरकार ने तीन साल पूरे किए, अभी तक जो कहा सो किया, आगे भी सारे वादे पूरे करेंगे, आप सभी को बधाई — संजय सिंह, आप सांसद

बाबर देश का सबसे बड़ा लुटेरा और हत्यारा था, जिसने देश के लोगों को लूटा और मारा है, उसकी मस्जिद भारत देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। — केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति

खून न मिलने पर मां के सामने मासूम ने तोड़ा दम

■ ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में दाखिल एक बच्ची की मौत खून समय पर न मिलने की वजह से हो गई। अस्पताल के रक्त बैंक से ब्लड जारी करवाने के करीब दो घंटे बाद भी ब्लड वार्ड तक नहीं पहुंच सका। इस वजह से एक तीन साल की मासूम को जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में काफी देर तक हंगामा किया। जावेद मंगलवार शाम करीब आठ बजे तीन साल की बेटी उमायरा को चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय से एलएनजेपी लाया गया था। उनके अनुसार उमायरा बीते कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और काफी कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि उसके खून में हिमोग्लोबिन बनना बंद हो गया था, जिसकी वजह से उसे तत्काल ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप एबी नेगेटीव था। जो चाचा नेहरू अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। इसलिए डॉक्टरों ने उमायरा को एलएनजेपी में ले जाने की सलाह दी।

ब्लड बैंक से रक्त जारी होने के बाद दो घंटे लग गए वार्ड तक पहुंचने में

पांच मिनट का रास्ता दो घंटे में भी नहीं हुआ तय : जावेद के अनुसार उमायरा को वार्ड में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे ब्लड का इंतजाम करने को कहा। इसके लिए उन्होंने एक पर्ची बना कर दी और अस्पताल के ही ब्लड बैंक से खून लाने को कहा। जावेद के अनुसार उसने रात करीब दस बजे ब्लड बैंक की सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ब्लड जारी करवा लिया था, लेकिन वहां के कर्मचारी ने ब्लड उसे देने से इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल के स्टाफ के द्वारा ही रक्त वार्ड में भिजवा दिया जाएगा। इसके लिए वार्ड से एक वार्ड ब्वॉय को भी भेजा गया, लेकिन बच्चों के वार्ड से ब्लड बैंक के पांच मिनट की दूरी वार्ड ब्वॉय दो घंटे में भी पूरी नहीं कर सका।

अस्पताल की चुप्पी से बढ़ा संदेह : अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डा. जेसी पासी ने कहा कि वह अवकाश पर है। घटना की जानकारी नहीं है, मामले की जांच की जाएगी। उनके अधिनस्थ कुछ भी बोलने के बजाए दूसरे अधिकारी से बात करने की सलाह दे रहे है। ऐसे में संदेह और बढ़ जाता है कि आखिर अस्पताल क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है।

gyaanrs2007@gmail.com

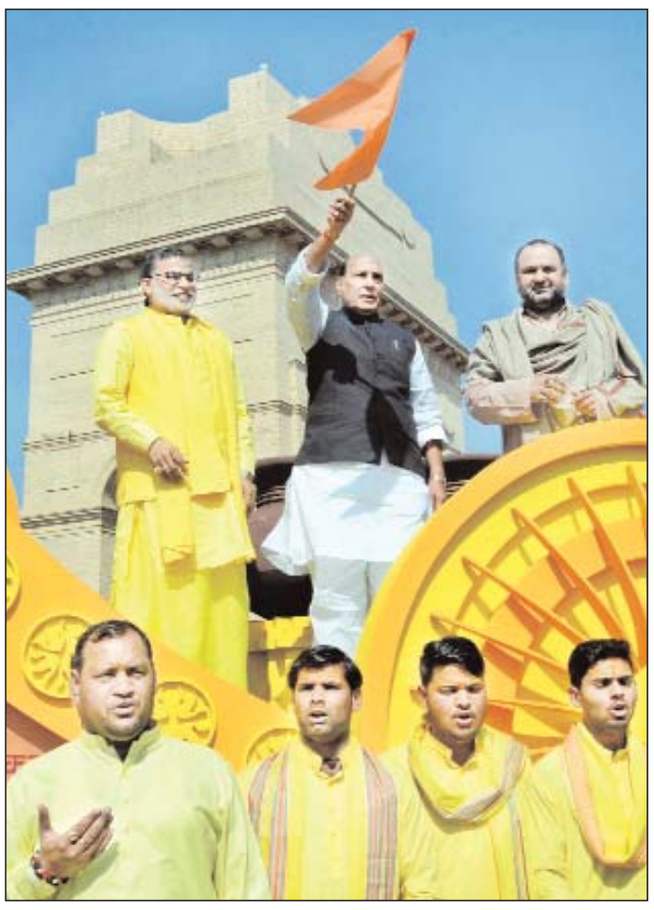

वैदिक यज्ञ के लिए बुधवार को इंडिया गेट के लॉन से रथ यात्रा को रवाना करते केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य। *फोटो : एसएनबी*

कमी के कारण दिल्ली को पूरा पानी नहीं : हरियाणा

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

वर्षा कम होने के कारण ताजेवाला में कम पानी है इस कारण दिल्ली को पानी कम दिया जा रहा है। यह बात हरियाणा के सिंचाई सचिव ने दिल्ली सरकार के सचिव से मंगलवार को कही। हरियाणा के सिंचाई सचिव ने दिल्ली सरकार के सचिव से कहा कि कुछ पानी यमुना से लेकर पेयजल समस्या का समाधान करे।

मंगलवार को दिल्ली सरकार के सचिव ने हरियाणा सरकार के सिंचाई सचिव से मुनक नहर के पानी में 80 एमजीडी कटौती करने के कारण होने वाली परेशानी से अवगत कराया। इस पर दिल्ली को मिलने वाला पूरा पानी छोड़ने पर चर्चा तो की लेकिन हरियाणा सरकार के सचिव ने पानी की कमी बताकर पूरा पानी देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के सिंचाई सचिव ने कहा कि वर्षा कम होने के कारण ताजेवाला में पानी की कमी है। इसके अलावा यमुना के जल स्रोत भी सूख रहे है। ऐसी स्थिति में पूरा पानी दिया जाना संभव नहीं है। दिल्ली सरकार के सचिव ने मंगलवार को तीसरी बार दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने के लिए चर्चा की थी। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा ने भाखड़ा व्यास का पानी देना शुरू किया था, लेकिन हरियाणा सिंचाई विभाग ने 45 दिन पहले एक बार फिर दिल्ली के हिस्से के पानी में कटौती कर दी है। पानी की कटौती होने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद जल शोधन संयंत्र 80 एमजीडी पानी का शोधन कर रहा है, जबकि उसकी क्षमता 120 एमजीडी की है। कमोवेश यही स्थिति चंद्रावल शोधन संयंत्र की है। जहां 40 एमजीडी पानी का शोधन हो रहा है जबकि जल शोधन क्षमता 80 एमजीडी है। पानी की कमी के कारण ओखला जल शोधन संयंत्र बंद कर दिया गया है। पानी की कमी के कारण राजधानी के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। सूत्र बताते है कि जल बोर्ड इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री को पूरी समस्या से अवगत कराएगा। इसके बाद भी हरियाणा द्वारा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा तो दिल्ली जल बोर्ड एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

कहा यमुना से पानी लेकर पेयजल समस्या का समाधान करे दिल्ली

बारिश कम होने के कारण ताजेवाला में पानी की कमी

हाईकोर्ट ने यूजीसी, डीयू से मांगा जवाब

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से उस अर्जी पर जवाब तलब किया है जिसमें छात्रों की शिकायतों के निदान के लिए सभी विश्वविद्यालयों में एक लोकपाल की नियुक्ति के इसके फैसले का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है।

विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त करने के फैसले का पालन नहीं करने का मामला

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने यूजीसी और डीयू को नोटिस जारी कर अर्जी पर उनके जवाब मांगे और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 मई तय कर दी। पिछले साल हाईकोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि वह डीयू सहित सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की शिकायतों के निदान के लिए चार महीनों के भीतर एक व्यवस्था स्थापित करें। न्यायालय ने डीयू को निर्देश दिया था कि वह यूजीसी शिकायत निवारण नियमन 2012 के प्रावधानों के संदर्भ में 'तुरंत जरूरी कदम उठाएं और जल्द लोकपाल की नियुक्ति करे।' पेशे से वकील ब्रजेश सिह ने अवमानना याचिका दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि अदालत के तीन फरवरी 2017 के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया।

नर्सरी दाखिले की पहली मेरिट लिस्ट आज

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के करीब 1700 निजी स्कूलों में चल रही नर्सरी दाखिले की पहली सूची 15 फरवरी को जारी हो जाएगी। यह दाखिला प्रक्रिया विद्यालय की सामान्य वर्ग की 75 प्रतिशत सीटों के लिए है। इसके आधार पर दाखिला प्रक्रिया शुरू होने पर फिर एक बार विद्यालय में अभिभावकों की दौड़भाग शुरू हो जाएगी। दाखिला प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार स्कूलों ने काफी मनमानी की हैं और दाखिले के लिए अभिभावकों को ज्यादा ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि 16 से 20 फरवरी के बीच इस मेरिट के आधार पर होने वाले दाखिलों पर नजर रखी जाएगी और डिजिटल, लिखित और मौखिक सभी प्रकार से शिकायतों को प्राप्त कर उनका समाधान किया जाएगा। विद्यालयों की दूसरी वरीयता सूची 28 फरवरी को आएगी और यदि आवश्यक हुआ तो तीसरी सूची 15 मार्च को जारी की जाएगी। निदेशालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक 31 मार्च तक दाखिला प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इस बार दाखिला प्रक्रिया में निदेशालय ने दाखिला मानक तय करने का अधिकार स्कूलों को दे दिया था और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि मानक भेदभावपूर्ण न हों।

स्कूलों की मनमानी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई : शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देश के बाद 27 दिसम्बर से शुरू हुई सामान्य वर्ग की नर्सरी दाखिला प्रक्रिया में स्कूलों ने निदेशालय के नियमों की जमकर अवहेलना की। निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा एक के दाखिलों के लिए निदेशालय ने स्कूलों को निर्देशित किया था कि 8 फरवरी तक सभी आवेदकों के बारे में जानकारी देने को कहा था, लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने इसका अनुपालन नहीं किया।

लोक कल्याण को शक्तिशाली बनना चाहता है भारत : राजनाथ

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारत 'पूरी दुनिया के कल्याण' के लिए ताकतवर बनना चाहता है, न कि दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को धमकाने के लिए। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिह ने बुधवार को यहां आयोजित एक समारोह में कही।

भगवा झंडा लहराते हुए गृह मंत्री ने इंडिया गेट के लॉन से रथयात्रा रवाना किया जो मार्च में होने वाले एक हफ्ते के वैदिक यज्ञ के लिए मिट्टी और पानी एकत्रित करेगा। इसे 'अद्भुत रथ यात्रा' बताते हुए सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी तरह की शक्ति हासिल करने के लिए नहीं बल्कि 'राष्ट्र निर्माण' और पूरी तरह सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए है। राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ का आयोजन लाल किले के बाहर 18 से 25 फरवरी तक होना है जिसमें 1100 पुजारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत केवल धनी बनने या शक्तिशाली या ताकतवर राष्ट्र बनने के लिए समृद्ध नहीं बने बल्कि 'हम विश्व कल्याण के लिए ऐसा करना चाहते हैं।' सिंह ने कहा, 'अगर हम मजबूत बनना चाहते हैं तो दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को आतंकित करने के लिए ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा समृद्ध भारत बने, जिसकी सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्ण है। एक ऐसा भारत जो विश्व गुरु बन सके।'

वैदिक यज्ञ के लिए इंडिया गेट के लॉन से रथ यात्रा को रवाना किया

राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ 18 से 25 फरवरी तक

उन्होंने कहा, 'हम देश की अखंडता न केवल भारत के लोगों के कल्याण के लिए चाहते हैं बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए चाहते हैं।' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 2022 तक नए भारत का सपना देखा है। सिंह ने कहा, 'इस यज्ञ की सबसे बडी खासियत है कि लोग हमारे देश की सीमाओं और चार धाम तक जाएंगे और मार्च में होने वाले यज्ञ के लिए मिट्टी और पानी लेकर आएंगे।' भाजपा सांसद महेश गिरी ने कहा कि यह घटना एक बार फिर सुनिश्चित करेगा कि 'वेद और देश की आवाज एक स्वर में गुंजेगी।'

हिन्दू कॉलेज में वर्जिन ट्री की पूजा पर हंगामा

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हिन्दू कॉलेज में वेलेंटाइन डे के अवसर पर हंगामा हुआ। दरअसल कॉलेज में हर साल यहां लगे एक पुराने वृक्ष को वर्जिन ट्री कहा जाता है, यहां हर साल की तरह दमदमा माई की पूजा की जाती है और वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। यहां मिस फ्रैशर व मिस्टर फ्रैशर ने पूजा की। हॉस्टल के बाहर इस पेड़ की पूजा की गई। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पूजा करता है तो उसका जोड़ा बन जाता है। यह पूजा 30 से 35 साल तक चली आ रही है।

इस कार्यक्रम के विरोध में पिंजड़ा तोड़ संगठन ने हॉस्टल यूनियन को ऐसी पूजा न करने को लेकर पत्र भी लिखा था, लेकिन यूनियन नहीं मानी। लिहाजा इसके विरोध में संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दीवारों पर भी पोस्टर लगाये गये थे, लेकिन यह कार्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों ने इसे फाड़ दिया। इस बार यहां पेड़ पर एक्टर जैकलीन फर्नांडीज और रणवीर सिंह का पोस्टर लगाया गया। पिंजड़ा तोड़ संगठन की छात्र नेता देवांगना ने कहा कि जिस हिसाब से पूजा की जाती है कि यह पितृ सत्ता को प्रमोट करने वाला लगता है। प्रदर्शन पूजा नहीं स्वतंत्रता चाहिए, जनेऊ नहीं समानता चाहिए। देवंगना ने कहा कि आरती में लड़कियों के बारे में बाते कहीं जाती हैं। आयोजकों का यह तर्क होता है कि कार्यक्रम एड्स जागरुकता के लिए आयोजित किया जाता है। इस दौरान वर्जिन ट्री पर कंडोम भी लगाये जाते हैं। इस मौके पर वर्जिन डायरी फिल्म के निदेशक नलिन सिंह भी कार्यक्रम में आये थे।

प्रकाशित नहीं हुई जीवनी पर कॉपीराइट कैसे : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में शहीद हुए एक सैनिक के परिजन से सवाल किया है कि किसी व्यक्ति, भले ही वह युद्ध का हीरो हो, की जीवन गाथा पर कॉपीराइट कैसे लागू हो सकता है जब वह प्रकाशित ही नहीं हुई हो। इस शहीद की जीवन गाथा के आधार पर एक फिल्म बनाई जा रही है। शहीद राइफलमैन जसवंत सिह रावत, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, के परिजन उनके बारे में बनाई जा रही फिल्म के विरोध में हैं। उनकी दलील है कि फिल्म की कहानी कॉपीराइट और उनकी निजता का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा, 'प्रकाशित ही नहीं हुए काम पर कोई कॉपीराइट कैसे हो सकता है, चाहे वह किसी युद्ध के हीरो की जीवन गाथा ही क्यों न हो।' बहरहाल, न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय कर दी। याचिकाकर्ता विजय सिह रावत, जो शहीद के भाई हैं, को अगली सुनवाई में बताना होगा कि उन्हें जीवन गाथा पर आधारित फिल्म नहीं बनाने की मांग करने का क्या हक है। विजय की दलील है कि न तो परिजन की सहमति ली गई, न ही उन्हें या केंद्र सरकार को फिल्म की पटकथा दिखाई गई जबकि सरकार ने पटकथा दिखाने को कहा था। इससे पहले हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि फिल्म की शूटिग रोक दी जाए, क्योंकि जमानत पर रिहा बलात्कार के एक आरोपी को थलसेना के हीरो, जो 4 गढवाल राइफल्स में राइफलमैन के पद पर थे, की भूमिका में दिखाया जा रहा है

आईपी विवि में आज दाखिले शुरू होने को लेकर संशय

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार के गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के पाठयक्रमों में बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को यह तय नहीं हो पाया कि आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होगी या 16 फरवरी से। दरअसल दाखिले को बृहस्पतिवार को बैठक होनी है, जिसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया को घोषित किया जा सकेगा।

बता दें कि विश्वविद्यालय ने पहले ही यह अधिसूचना जारी की थी कि विश्वविद्यालय में 15 फरवरी से दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन बुधवार को यह तय नहीं हो पाया कि बृहस्पतिवार से दाखिले को ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे या नहीं। लिहाजा अब यह तय हुआ है कि बृहस्पतिवार को दाखिले को लेकर होने वाली बैठक के बाद आवेदन प्रक्रिया को पुनः घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में आगामी सत्र के लिए नए कोर्स अंग्रेजी ऑनर्स भी शुरू किया जाना है। इसको लेकर भी बृहस्पतिवार को ही बैठक होगी।

हालांकि विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथियां और प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत ज्यादातर कोर्स में 10 अप्रैल, एक व 15 मई शाम 4 बजे तक आवेदन की अंतिम तिथि है।

सैन्य अभियंता सेवा

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से एचक्यू सीडब्ल्यूई, नई दिल्ली, दिल्ली कैंट–10 निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन वस्तु दर निविदाएं एकल चरण दो लिफाफा निविदा पद्धति में आमंत्रित करते हैं :–

क्र. सं.	एनआईटी सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा आईडी
(क)	सीडब्ल्यूई–एनडी /77/2017–18	जीई ई/एम आर ऐण्ड आर हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट–10 के अधीन आर्मी हॉस्पिटल (आर ऐण्ड आर) में ऑफीसर्स मेस रोड की विशेष मरम्मत।	रू. 20.00 लाख	180 दिन	2018_MES_172551
(ख)	सीडब्ल्यूई–एनडी /78/2017–18	जीई (साउथ), दिल्ली कैंट–10 के अधीन बिल्डिंग नंबर पी–34ए एवं 34बी जेसीओ'ज लिविंग एसीसीएन की विशेष मरम्मत।	रू. 21.00 लाख	180 दिन	2018_MES_173560
(ग)	सीडब्ल्यूई–एनडी /79/2017–18	जीई (साउथ), दिल्ली कैंट–10 के अधीन 1 सीबीपीओ में रोड की विशेष मरम्मत।	रू. 20.00 लाख	180 दिन	2018_MES_173564
(घ)	सीडब्ल्यूई–एनडी /80/2017–18	जीई (साउथ), दिल्ली कैंट–10 के अधीन खानपुर कैम्प में ड्रेन की विशेष मरम्मत।	रू. 21.00 लाख	180 दिन	2018_MES_173566
(ङ)	सीडब्ल्यूई–एनडी /81/2017–18	जीई ई/एम आरआर हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट–10 के अधीन एएचआरआर कॉम्प्लेक्स में एचटी सब–स्टेशन, जल आपूर्ति एवं सीवेज निपटान संस्थापन, ऑयल फायर्ड इनसिनरेटर, स्टीम बॉयलर संस्थापन की मैनिंग और आपरेशन।	रू. 60.00 लाख	330 दिन	2018_MES_173567
(च)	सीडब्ल्यूई–एनडी /82/2017–18	जीई ई/एम आरआर हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट–10 के अधीन एएचआरआर में ओटिस मेक लिफ्ट्स का व्यापक निवारक आवधिक अनुरक्षण	रू. 60.00 लाख	330 दिन	2018_MES_173569
(छ)	सीडब्ल्यूई–एनडी /83/2017–18	जीई ई/एम आरआर हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट–10 के अधीन एएचआरआर में सेन्ट्रल एसी प्लाण्ट की मैनिंग, आपरेशन तथा निवारक व्यापक अनुरक्षण।	रू. 55.00 लाख	330 दिन	2018_MES_173570
(ज)	सीडब्ल्यूई–एनडी /84/2017–18	जीई ई/एम आरआर हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट–10 के अधीन आर्मी डेंटल हॉस्पिटल (आर ऐण्ड आर) में सेन्ट्रल एसी प्लाण्ट की मैनिंग, आपरेशन तथा निवारक व्यापक अनुरक्षण।	रू. 43.00 लाख	330 दिन	2018_MES_173753
(झ)	सीडब्ल्यूई–एनडी /85/2017–18	जीई नई दिल्ली, दिल्ली कैंट–10 के अधीन नेवी एरिया में लिफ्ट की मैनिंग एवं आपरेशन तथा निवारक व्यापक अनुरक्षण।	रू. 15.00 लाख	330 दिन	2018_MES_173757

2. अतिरिक्त विवरण के लिए वेबसाइट defproc.gov.in देखें। डीएवीपी 10102/11/2422/1718

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोरल हाउस नंबर 2, एस.एस.आई. मोरा रोड, चेन्नई 600 031

शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 8, डिवीज़न तल, मेट्रो प्लिंथ नंबर 81 के सामने, पुश्ता रोड, जसोला, नई दिल्ली 110025

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के तहत)

जबकि, प्राधिकृतधारी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(ऐं) कालम (सी) में वर्णित देनिकों को जारी की थी, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निर्दिष्ट किए गए हैं, से कालम (डी) में निर्दिष्ट रकमों राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कालम (ई) में वर्णित संपत्ति का कब्जा कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में सांकेतिक कब्जा कालम (डी) में निर्दिष्ट बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभारार्थीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार विक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं. (ए)	कर्जदार का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या (बी)	मांग सूचना की तिथि (सी)	बकाया राशि (डी)	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण (ई)	कब्जा लेने की तिथि (एफ)
1.	(ऋण सं.) एक्स0एचई0टीएचई00001093409 एक्स10एचई0बीएचई00000825685 नीरज कुमार (कर्जदार) सजीव गोस्वामी, सोनिया गुप्ता, शिखा गोस्वामी, श्री साईं पैकेजिंग, सोनिया रोनी (सह–कर्जदार) पता – मकान नंबर 1031, द्वितीय तल, आउटरम लाइन्स, गीटोली नगर, विन्सलो कैम्प, नई दिल्ली–110009	12/09/2017	रु. 1,01,75,107.82	सम्पत्ति परिमाप 160 वर्ग गज, सम्पूर्ण द्वितीय तल, छत का अधिकार नहीं, सम्पत्ति सं. 1031 का हिस्सा, आउटरम लाइन्स, विन्सलो कैम्प, नई दिल्ली–110009 में स्थित।	13/02/18

स्थान : दिल्ली + एनसीआर

तिथि : 15.02.2018

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)

वास्ते मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

RELIGARE Values that bind

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi -110019

CIN: L74899DL1984PLC146936

Phone: 91-11-46272100, Fax No: 91-11-46272117

Website: www.religare.com, E mail: investorservices@religare.com

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and 9 Months Ended December 31, 2017

(Rs. in lacs)

	Particulars	Quarter Ended 3-Months Ended 31/12/2017 (post merger)	Quarter Ended Corresponding 3-Months Ended 31/12/2016 (as published)	Year to Date Figures for 9 Months Ended 31/12/2017 (post merger)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	783.55	701.79	3,951.84
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(4,167.94)	(4,382.12)	(4,585.44)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	(4,167.94)	(4,382.12)	(4,585.44)
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(4,167.94)	(4,327.94)	(4,585.44)
5	Equity Share Capital (Paid up)	17,840.02	17,833.40	17,840.02
6	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year	N.A.	N.A.	N.A.
7	Earnings Per Share before and after extraordinary items (of Rs 10/- each, fully paid up) (for continuing and discontinuing operations)			
	a. Basic EPS (Rs.)	(2.34)	(2.43)	(2.08)
	b. Diluted EPS (Rs.)	(2.34)	(2.43)	(2.08)

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the Company's website www.religare.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com and www.bseindia.com.

(2) Hon'ble NCLT vide its order dated December 08, 2017 approved the Scheme of Arrangement/ Amalgamation between Religare Securities Limited (excluding broking business which has been demerged into Religare Broking Limited, a wholly owned subsidiary of the Company), Religare Commodity Broking Private Limited, HGAM Investment Advisors Private Limited, Religare Venture Capital Limited, Religare Arts Investment Management Limited, Religare Capital Finance Limited, RGAM Capital India Limited, Religare Investment Advisors Limited, Religare Support Services Limited, Religare Arts Initiative Limited, Religare Capital Markets (India) Limited, Religare Broking Limited and Religare Enterprises Limited. Certified copy of the NCLT Order has been filed with Registrar of Companies on December 29, 2017. Appointed date of Scheme is April 1, 2016 and effective date of scheme is December 29, 2017.

The effect of the scheme is considered during the quarter and nine months ended December 31,2017. However, figures for the corresponding quarter ended December 31, 2016 has not been reworked and restated. Accordingly, the results are not fully comparable.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Krishnan Subramanian

Whole Time Director

Place: Gurugram

Date: February 14, 2018